अनुसूची 14 फारम संख्या 562

न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर–सरिया, (गिरिडीह)

आदेश पत्रक

सुरेश मंडल .... प्रथम पक्ष

बनाम

बिरेन्द्र मंडल वगैरह .... द्वितीय पक्ष

देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129

आदेश पत्रक ता0 .... से ....
तक जिला – गिरिडीह।

विविध वाद संख्या – 26 सन् 2025

धारा – 163 भा0 ना0 सु0 सं0

आदेश की क्र0सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
05-2-25	आवेदक/आवेदिका – 1. सुरेश मंडल पिता केदार मंडल, साकिन – बडकी सरिया (शिव महल्ला), पो0 – सरिया, थाना – सरिया, जिला – गिरिडीह के द्वारा आवेदन देकर कहा गया है कि प्रथम पक्ष 1. सुरेश मंडल पिता केदार मंडल और द्वितीय पक्ष 1. बिरेन्द्र मंडल पिता केदार मंडल 2. बबिता देवी पति बिरेन्द्र मंडल 3. प्रकाश मंडल पिता केदार मंडल, 4. पिंकी देवी पति प्रकाश मंडल सभी साकिन – बडकी सरिया (शिव महल्ला), पो0– सरिया, थाना – सरिया, के बीच भूमि को लेकर निम्नलिखित भुमि पर विवाद है :–	45 05/2/25

भूमि का विवरण

अंचल – सरिया, हल्का नं0 –5, मौजा – बडकी सरिया, थाना/थाना नं0 – सरिया /44

भोलुम नं0 /पेज नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा	जमीन किस्म	चौहदी
3/33	200	4017	2.5 डी0	गैरमजरुवा खाश	उ0 – नीज मोकीर, दं0 – रास्ता, पू0 – दतुल महतो ,पं0 – जगरनाथ महतो
4/15	$\frac{200}{524}$	4065	32 डी0	गैरमजरुवा खाश	उ0 – नीज क्रेता, दं0 – नीज क्रेता पू0 – नीज क्रेता, पं0 – नीज क्रेता

प्रथम पक्ष के द्वारा उक्त भुमि पर भा0 ना0 सु0 सं0 कि धारा 163/अन्य के तहत निषेधाज्ञा लागु करने कि मांग कि गई है।

प्राप्त आवेदन पर अंचल अधिकारी सरिया तथा थाना प्रभारी सरिया से मंतव्य के साथ दिनांक 15-02-25 तक जॉच प्रतिवेदन कि मांग करें।

अभिलेख दिनांक 15-02-25 को उपस्थापित करें।

लेखापित एवं संशोधित

05-2-25
अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर–सरिया

05-2-25
अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर–सरिय

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)।

वाद संख्या - ...26...../2025

धारा 163 भ0ना0सु0सं0

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
22-2-25	अभिलेख उपस्थापित। थाना प्रभारी, सरिया के पत्रांक – **264/25, दिनांक– 13.02.2025** के द्वारा समर्पित किया गया जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन के बाद मैं संतुष्ट हूँ कि भूमि विवाद को लेकर उभय पक्षों में शांति भंग होने की आशंका है एवं टकराव के लिए तत्पर हैं। इस बात से मैं संतुष्ट हूँ कि इस मामले में टकराव को दूर करने तथा इलाके में शांति बनाये रखने के लिए निरोधात्मक कार्यवाई आवश्यक हैं। इन तथ्यों के आलोक में उभय पक्षों के विरुद्ध धारा 163 भा0 ना0 सु0 संहिता के अंतर्गत कार्यवाई प्रारंभ किया जाता है तथा उभय पक्षों को 60 दिनों के लिए विवादग्रस्त भूमि पर या उसके नजदीक जाने अथवा किसी भी तरह का कार्य करने के लिए प्रतिबंधित किया जाता है तथा रोका जाता है। साथ हीं उभय पक्षों से दिनांक ...07-3-25... को कारण पृच्छा की मांग की जाती है कि क्यों नहीं एक या दोनों पक्षों के विरुद्ध निरोधात्मक आदेश को सम्पूष्ट किया जाय। अभिलेख दिनांक ...07-3-25... को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संशोधित (हस्ताक्षर) 22-2-25 अनुमण्डल दण्डाधिकारी बगोदर–सरिया (गिरिडीह) (हस्ताक्षर) 22-2-25 अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बगोदर–सरिया(गिरिडीह)	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
7/3/25	उभय पक्ष वकालतन उपस्थित। द्वितीय पक्ष WS दाखिल करने हेतु समय की मांग करते हैं। स्वीकृत। NDO 28/3/25 (हस्ताक्षर) 07/3/25	
28/3/25	उभय पक्ष ~~[illegible]~~ उपस्थित। अभिलेख दिनांक 11/4/25 को रखें। (हस्ताक्षर) 28/3/25	
11/4/25	उभय पक्ष वकालतन उपस्थित। द्वितीय पक्ष के द्वारा W/S file किया गया। प्रथम पक्ष प्रत्युत्तर दाखिल करना चाहते हैं। अगली तिथि 19/4/25 (हस्ताक्षर) 11/4/25	
19/4/25	प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष सदस्य सं-01 उपस्थित। प्रथम पक्ष की ओर से कारण-पृच्छा दाखिल। आदेश हेतु। (हस्ताक्षर) 19/4/25	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	आदेश वाद सं. 26/25 (भा. ना. सु. सं. की धारा 163 के तहत)	
19/5/25	उभय पक्ष अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित हुए तथा अपना-अपना लिखित w/s दायर किया। प्रथम पक्ष सुरेश मंडल का कहना है कि विवादग्रस्त भूमि उनके पिता को दो निबंधित विक्रय पत्र से हासिल है तथा विपक्षी जबरन उक्त भूमि पर निर्माण कार्य कर कब्जा करना चाह रहे हैं। प्रथम पक्ष अपने दावे के समर्थन में दो निबंधित विक्रय पत्र के सत्यापित प्रति की छायाप्रति तथा दो लगान रसीद की छायाप्रति प्रस्तुत करते हैं। वहीं दुसरी ओर द्वितीय पक्ष का कहना है कि वे तथा प्रथम पक्ष सहोदर भाई हैं तथा विवादग्रस्त भूमि उन दोनों के पिता को निबंधित विक्रय पत्र से हासिल है। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के दलीलों को सुना। मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि उभय पक्ष पिता के द्वारा अर्जित सम्पत्ति पर अपने हिस्से को लेकर विवाद कर रहे हैं। स्पष्टतः यह विवाद बँटवारे से संबंधित है। बँटवारे का विवेचन अधोहस्ताक्षरी के क्षेत्राधिकार में नहीं है। अतः उभय पक्ष को निर्देशित	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	किया जाता है कि अविलम्ब व्यवहार न्यायालय में बैटवारे (Partition) से संबंधित वाद दायर कर विवाद का स्थायी समाधान करना सुनिश्चित करेंगे एवं वाद दायर होने से फैसला आने तक क्षेत्र में शांति बनाए रखेंगे। उक्त आदेश के साथ ही वाद की कार्यवाई समाप्त घोषित की जाती है। आदेश की प्रति अंच पदा तथा थाना प्रभारी सरिया को भेजें। लेखापित एवं संशोधित ह०/- 29/4/25 अनुमंडल दण्डाधिकारी बगोदर - सरिया ह०/- 29/4/25 अनु० दण्डा० बगोदर-सरिया	

Digitally signed by SANTOSH GUPTA
Date: 2025.04.29 13:18:52 +05:30
Location: 192.168.137.1